संख्या-63/2021/1938ई-2/तेरह-2021- 221708

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 सितम्बर, 2021

विषय- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., गांगनौली आसवनी, जनपद सहारनपुर की 160 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-50/दो-प्रा.डी.-103/गंगनौली, दिनांक 20-09-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-09-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., गांगनौली आसवनी, जनपद सहारनपुर की 160 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 10-07-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 10-07-2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति में उल्लिखित शर्तें।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।